विविध बैंक प्रकरण सं0 100/2019(RCMS : 2019/00179) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स गणपति इण्डस्ट्रिज, शॉप नं0 16, पावर हाउस रोड, एक्साईज ऑफिस के सामने, श्रीगंगानगर द्वारा प्रो. संजयशर्मा पंत्र राज कुमार रहवासी 1/302 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर 2. संजय शर्मा पुत्र श्री राज कुमार 3. श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा रहवासी 1/302 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर 4. जसप्रीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह रहवासी 1/281, हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण मैसर्स गणपति इण्डस्ट्रिज, संजय शर्मा, मंजू शर्मा एवं जसप्रीत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी संजय शर्मा ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति दुकान नं. 316, पावर हाउस रोड, एक्साइज ऑफिस के सामने, श्रीगंगानगर (8.55 वर्ग मीटर) का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत मैसर्स मैसर्स गणपति इण्डस्ट्रिज, संजय शर्मा, मंजू शर्मा एवं जसप्रीत सिंह के विरूद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजय शर्मा द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति दुकान

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 316, पावर हाउस रोड, एक्साइज ऑफिस के सामने, श्रीगंगानगर (8.55 वर्ग मीटर) का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए दिनांक 05.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री तेजा सिंह ने इस प्रकरण की आदेशिका के हाशिये में अपनी हस्तलिखी से एवं अपने हस्ताक्षर से नॉट प्रैस (Not Press) अंकित किया है और यह प्रार्थना की है कि यदि प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 05.04.2018 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर